International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 751-752

शुक्र, कौटिल्य और कालिदास के वांग्मय में न्याशास्त्र

डॉ. दयाशंकर तिवारी
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद पी.जी.कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

विशाखदत्त ने राज्य–द्रोह करने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्यु दण्ड का उल्लेख किया है। चाणक्य चन्दनदास को मृत्यु दण्ड दिए जाने का भय दिखाता है–प्राणहरं दण्डम्। विश्व के अन्य प्राचीन समाजों में राजद्रोह को महान अपराध माना गया है, जिसके लिए कठोर दण्ड का विधान मिलता है। एथेन्स में राजद्रोह की भावना, विद्रोह के लिए प्रेरित करना, गुरूतर अपराध माना गया है।

धर्मसूत्रों में अपराधियों के लिए देश निष्कासन के दण्ड का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में भी देश निष्कासन के दण्ड का विधान मिलता है। रघुवंश में कालिदास ने अपराध करने पर दिए जाने वाले देश–निष्कासन के दण्ड का वर्णन किया है काल मुनि का वेश धारण कर राम से एकान्त में बात करने का आग्रह करते हुए कहता है– जो कोई हम दोनों के वार्तालाप के मध्य प्रवेश करेगा, उसे आप देश से निष्कासन–त्यजेरिति–का दण्ड देंगे। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में देश निष्कासन के दण्ड का उल्लेख किया है। चाणक्य कहता है सम्राट चन्द्रगुप्त की आज्ञा के अनुसार जीवसिद्ध नामक छपणक अपमानपूर्वक नगर से निकाल दिया जाय–नगरान्निर्वास्यते।

अपराधियों को अपराध करने से रोकने के लिए बन्दीगृहों में रखा जाता है। कौटिल्य का मत है कि राजधानी में स्त्री एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग सुरक्षित प्रवेश द्वार वाले बन्दीगृहों का निर्माण होना चाहिए। मनु का मत है कि बन्दीगृह राजमार्ग पर बनाया जाना चाहिए जिससे क्लेश एवं दुर्दशा में पड़े अपराधियों को देखकर अन्य व्यक्ति अपराध करने से बचें। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र में राजप्रसाद के एकान्त में पृथ्वी के नीचे एक अन्धकूप में कारागार के निर्माण–पातालवासम् का उल्लेख किया है। रघुवंश में यह स्पष्टरूप से कहा गया है कि जिस रावण ने इन्द्र को जीत लिया है उसको भी कार्तिकेय ने अपने बन्दीगृह–कारागृहे में कैद कर लिया है। कालिदास ने निगलापधा तथा निगलबन्धन जैसे शब्दों का प्रयोग मालविकाग्निमित्र नामक ग्रन्थ में किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपराधियों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर रखा जाता है। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में अपराधियों को बन्दीगृह में रखने का उल्लेख किया है।

कतिपय अवसरों पर अपराधियों को कैद से मुक्त करने तथा उनके दण्ड को समाप्त करने की घोषणा की जाती है ऐसे अवसरों का उल्लेख धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों के अन्तर्गत मिलता है। कौटिल्य ने राजा के जन्म दिन के उपलक्ष्य में या विजय के अवसर पर तथा राजकुमार के जन्म या राज्याभिषेक की प्रसन्नता में बन्दीणनों को मुक्त किए जाने का उल्लेख किया है। कालिदस ने रघुवंश में ऐसे अवसरों का उल्लेख किया है जब अपराधियों को दण्ड मुक्त कर दिया जाता है। राज्याभिषेक की प्रसन्नता में राजा अतिथी आज्ञा देते हैं कि–बन्दियों को छोड़ दिया जाय तथा मृत्यु दण्ड पाये हुए अपराधियों को मृत्यु दण्ड न दिया जाय– वन्धच्छेदं स बद्धानां बधार्हाणामबध्यताम्। कालिदस ने राजकुमार के जन्म दिन के अवसर पर बन्दजनों के मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में आमात्य राक्षस द्वारा शस्य ग्रहण करने (विजय प्राप्त करने) के उपलक्ष्य में महाराज चन्द्रगुप्त द्वारा बन्दीजनों को मुक्त करने का उल्लेख किया है–मुच्यतां सर्वबन्धनम्।

धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों के अन्तर्गत उचित दण्ड देने पर बल दिया गया है। कौटिल्य का मत है कि दण्ड को काम, क्रोध अथवा अज्ञान के वशीभूत होकर यदि प्रयोग में लाया जाता है तो वह वानप्रस्थियों एवं सन्यासियों को भी कुपित कर देता है फिर गृहस्थों का कहना ही क्या है जिसके कारण बस स्वयं राजा का नाश कर देता है। राजा अपराधियों को दण्ड देने में निरंकुश नहीं है यदि राजा उचित रूप से दण्ड का प्रयोग नहीं करता है तो दण्ड राजा का ही नाश कर देता है। मनुस्मृति में लेख मिलता है यदि व्यभिचारी अन्यायी एवं दुष्ट राजा दण्ड धारण करता है तो वह दण्ड सम्बन्धियों के साथ उस राजा का नाश कर देता है। कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल में इस बात का उल्लेख किया है कि राजा दण्ड देने में निरंकुश नहीं है– वैरवानस कहता है आपके शस्त्र पीड़ितों की रक्षा करने के लिए हैं निरपराध प्राणियों को मारने के लिए नहीं। रघुवंश में यह वर्णन मिलता है कि जब राजा राम अपवाद से डरकर सीता जी का परित्याग कर दते हैं, तब राम के अभद्र व्यवहार से ऋषि बाल्मीकि अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में इस बात का उल्लेख किया है कि यदि राजा अज्ञानया क्रोध के वशीभूत होकर दण्ड का प्रयोग करता है तो उसका विनाश हो जाता है। मलयकेतु की अज्ञानता एवं दुराचार के कारण अन्य राजागण उसका साथ छोड़ देते हैं–एषदुराचारइत्युज्झित्वा। न्याय प्रक्रिया–कौटिल्य ने विधि के चार स्रोतों का उल्लेख किया है जिनके अनुसार विवादों का निर्णय किया जाना चाहिए। विधि के ये चार स्रोत हैं – धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन– धर्मश्च व्यवहारश्च, चरित्रं राजशासनं। धर्म के अनुसार निर्णय का तात्पर्य है अपराधी अपना दोष स्वीकार कर ले और वादी को उसके मांग की पूर्ति हो जाय। दिव्य द्वारा प्रामण एकत्र करके निर्णय देना धर्मपाद माना जाता है। दिव्य को सत्य भी कहा जाता है। अपरार्क ने गौतम के कथन–विप्रतिपन्तौ त्रैविद्यवृद्धेभ्यः प्रत्यवहृत्यनिष्ठां गमयेतु, से यह मत व्यक्त किया है कि यदि न्यायाधीशों में मतभेद है तो राजा त्रैविद्यवृद्धभ्यः अर्थात तीनों वेदों के ज्ञाता वृद्धों से उचित निर्णय प्राप्त करने के लिए परामर्श करे और उसके अनुसार निर्णय दें। धर्म सत्य में स्थित है। धर्मशास्त्रों के नियमों की व्याख्या करने लिए भारतीय व्यवस्था में एक संस्था का उल्लेख धर्मसूत्रों में मिलता है जिसे परिणद कहते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में त्रिशास्त्रों में विज्ञ पुरूषों के साथ राजा को न्याय करने का आग्रह किया है। याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है कि राजा को बिना भड़कीले वस्त्र धारण किए विद्वान ब्राह्मणों एवं मन्त्रियों के

साथ सभागृह में प्रवेश करना चाहिए। शुक्रनीति में उल्लेख मिलता है कि राजा को धर्मशास्त्रों के आदेशानुसार लोभ और भय से मुक्त होकर कानूनी अभियोगों का निरीक्षण करना चाहिए। शुक्रनीति में उल्लेख मिलता है कि राजा को धर्मशास्त्रों के आदेशानुसार लोभ और भय से मुक्त होकर कानूनी अभियोगों का निरीक्षण करना चाहिए। कालिदास ने धर्म को न्याय का साधन माना है। रघुवंश में कहा गया है कि शास्त्रों की सूक्ष्मता तक पहुँचने वाली राजा की तीव्र बुद्धि होनी चाहिए – शास्त्रेष्कुण्डिता। विक्रमोवर्षीय में धर्मासन शब्द का उल्लेख मिलता है जो न्याय कार्य की धार्मिक प्रवृति का बोधक है। मालविकाग्निमित्र में राजा विवादों का निर्णय करते समय पण्डिता कौशिकी की सहायता लेता है जो अध्यात्म विद्या तथा तीनों वेदों की ज्ञाता बताई गई है। आभिज्ञानशाकुन्तल में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राजा पुरोहित के साथ न्यायालय में बैठता है तथा पुरोहित के परामर्श को स्वीकार करता है। पुरोहित को मन्त्रों तथा यज्ञों का पूर्ण ज्ञाता तथा वेदों का रक्षक कहा गया है। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में धर्म को न्याय का एक स्रोत माना है। चन्द्रगुप्त चाणक्य के परामर्श के अनुसार कार्य करता है जो धर्मज्ञानी कहा गया है– धर्मविन्तरः।

संदर्भ

1. शुक्र0 4:5:9:11
2. रघु0 1:19, 1:55
3. विक्रमो0 पृ0 26, 30, शाकु0 पृ0 154, 194
4. मालवि0 अंक 1 पृ0 193, 1:14 त्रयी विग्रहवत्येव सममध्यात्म विद्यया।
5. शाकु0 अंक 5 पृ0 58
6. रघु0 1:59, आपस्तम्ब धर्मसूत्र 2:5, 10, 13–14
7. मुद्रा0 अंक 1 पृ0 93, 2:9 धर्मोमौर्यइव
8. मुद्रा 7:1 यदि रक्षितुं मन्यध्वं प्राणं, विभवंकुलं कलत्रं च। परिहरत तस्माद् विषमिव राजापथ्यं प्रयत्नेन।।
9. मुद्रा0 अंक 1 पृ0 138
10. Continental History of criminal law, part I, Chap VI, Oration of Demostnenese, Vol. III pp 339-40. Translation by Charls R. Kennedy (1856), M.N. Dhalla Zorostrain Civilization, Chapter I.
11. गौतम 12:44, 12:43
12. कौ0 4:8, मनु0 8:125, 380–381, याज्ञ0 2:270
13. रघु0 15:92
14. मुद्रा0 अंक 1 पृ0 133
15. कौ0 2:5
16. मनु0 9:288
17. मालवि0 पृ0 64
18. रघु0 6:40
19. मालवि0 पृ0 64, 79
20. मुद्रा अंक 1 गृहजनश्च बन्धनागारं प्रवेशताम्
21. मुद्रा0 अंक 1 पृ0 138
22. कौ0 2:36 दिल्ली टोपरा स्तम्भालिख सं0 4–5 कार्पत इन्सिक्रप्संस इडिकेरम, जिन्द 1 पृ0 123, पृ0 126–128
23. रघु0 17:19
24. रघु0 3:20